रिवर्स बोरवेल वर्षा जल संरक्षण के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे : दिया कुमारी

जल संरक्षण के लिए उपमुख्यमंत्री की अभिनव पहल

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में ज्वाला माता मंदिर चौराहे नाड़ी का फाटक के पास जल भराव की समस्या के समाधान एवं वर्षा जल संवर्धन के तैयार किए जा रहे गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल का शिलान्यास किया।

शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बहुत बारिश हुई है, लेकिन वर्षा जल सड़कों पर बह गया। कई स्थानों पर जलभराव की भयंकर समस्या सामने आयी। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बरसात के पानी की एक एक बूँद को सहेजे और संचित करें और उसे पुनः धरती माता की गोद तक पहुँचाने का प्रयास करें। इसी कड़ी में यह रिवर्स बोरवेल करवाए जा रहे हैं।

जल भराव क्षेत्र में 10 इंच का बोरिंग किया गया है। इसमें 6 इंच का केसिंग का पाइप डाला जाएगा जिसके चारों और रोड़ी और ग्रैवल भरी जाएगी। इसके ऊपर एक चैम्बर का निर्माण किया जाएगा ताकि कचरा अंदर नहीं जाये। बरसात के समय भराव क्षेत्र में आने वाला पानी इस चैम्बर के माध्यम से पाइप के चारों और भरी रोडी/ग्रेवल के माध्यम से फिल्टर होकर ये पानी पाइप में किए गए छिद्रों के माध्यम ज़मीन के अंदर जाएगा। जिससे ग्राउंड वॉटर रिचार्ज होगा।बरसाती पानी सीधा जाकर ग्राउंड वॉटर से नहीं मिले इसलिए ज़मीन के अंदर डाले गए पाइप को ग्राउंड वॉटर से ऊपर रखा गया है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों में यह संभवतः प्रदेश में अपनी तरह का पहला मामला है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेस्ट किया जा रहा है। यदि यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो अन्य जल भराव के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की संरचनाएं विकसित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के पाँच रिवर्स बोरवेल तैयार करवाए जा रहे हैं।

इस दौरान सूरत नगर निगम के चेयरमैन दिनेश राजपुरोहित, नगर निगम ग्रेटर जयपुर की चेयरमैन रश्मि सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को विद्याधर नगर में ज्वाला माता मंदिर चौराहे पर नाड़ी का फाटक के पास जल भराव की समस्या के समाधान एवं वर्षा जल संवर्धन के तैयार किए जा रहे गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल का शिलान्यास किया।

उप मुख्यमंत्री बैरवा के बचाव में उतरी भाजपा

- **निरंतर जनसेवा कर रहे उपमुख्यमंत्री बैरवा के विषय में सफेद झूठ बोलकर अफवाह फैला रहे हैं : किरोड़ी लाल**
- **भाजपा का हर नेता पाक साफ है : राठौड़**

जयपुर। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा पर लगभग एक सप्ताह से चल रहे विवाद पर अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व डॉक्टर किरोडी लाल मीणा ने भी ट्वीट कर उनके पक्ष में कहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी का चरित्र हनन करना ठीक नहीं है। यह हल्की राजनीति है. इस तरह की राजनीति से राजनेताओं को बचना चाहिए। जहां तक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात है तो वो एक महिला हैं, उन्हें भी इस तरह से निचले स्तर पर उतर कर हल्की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा कि इस तरह के मामले में कोई भी भाजपा का नेता शामिल नहीं है और न ही किसी का कोई लेना देना है। यह सिर्फ चरित्र हनन का काम किया जा रहा है। यह बहुत हल्की राजनीति है। इस तरह की हल्की राजनीति पर किसी को उतरना नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति के चरित्र को लेकर इस तरह से बयानबाजी करना ठीक नहीं है।

चर्चाओं का फैलना, भ्रम फैलाना, छवि खराब करना, इससे राजनेताओं को बचना चाहिए, जहां तक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की बात है तो मैंने भी सोशल मीडिया पर पढ़ा है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि किसके लिए लिखा गया है, लेकिन जिसके पास कोई काम नहीं होता है, वो इसी तरह की बातें करता है। जिन बातों का कोई हाथ पैर नहीं होता है, उनको आसमान में छोड़ दिया जाता है। इस तरह की कोई बात हुई ही नहीं है। ऐसे में सिर्फ हवा में बातें की जा रही है, जहां तक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात है तो वो एक महिला हैं। उन्हें इस तरह से निचले स्तर पर आकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह अच्छी राजनीति नहीं है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से सफाई के मामले पर मदन राठौड़ ने कहा कि उनके पास पार्टी के एक-एक नेता और कार्यकर्ता के बारे में जानकारी होती है। ऐसे में जो अफवा फैलाई जा रही है, उससे पार्टी के किसी भी नेता का कोई वास्ता नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि वो अधिकृत और जिम्मेदारी के साथ यह कहते हैं कि किसी भी भाजपा के नेता का इससे कोई लेना- देना नहीं है। यह केवल कपोल कल्पित बातें हैं। इस तरह के अफवाह फैलाकर छवि खराब करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। देश और राजस्थान की राजनीति में इस तरह से किसी के चरित्र का हनन करना सही नहीं है। राजनीति हमेशा सिद्धांतों और विचारधारा की होनी चाहिए।

वही डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि निरंतर जनसेवा कर रहे उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के विषय में सफेद झूठ बोलकर अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा करने वाले समाज और प्रदेश की राजनीति को दूषित कर रहे हैं। मैं ऐसी निंदित व कुत्सित राजनीति करने वालों की भर्त्सना करता हूं। ये भूताः विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया।

किसान विकसित भारत का बड़ा आधार : नरेन्द्र मोदी

- **राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम : भजनलाल शर्मा**

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार की हर नीति और निर्णय विकसित भारत को समर्पित हैं। विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार हमारे किसान हैं, इसलिए केन्द्र सरकार देश के किसानों के हित में नित नई योजनाएं संचालित कर रही है और महत्वपूर्ण फैसले ले रही है।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना की 18वीं किस्त जारी करने तथा कृषि एवं पशुपालन से संबंधित विभिन्न नवीन पहलों के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के साथ वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कृषि विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इनसे कृषि उत्पादों के स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों के खातों में करीब 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। इस योजना के तहत किसानों के खातों में प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपये की तीन समान किस्तों के रूप में 6 हजार रुपये जमा किए जाते हैं। योजना के तहत अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। मोदी ने इस अवसर पर पशुपालन विभाग की दो योजनाएं स्वदेशी बोवाइन सीमेन सेक्स्ड सोर्टिंग टेक्नोलोजी एवं जीनोटाइपिंग चिप भी राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कृषि विकास हेतु कृषि अवसंरचना कोष की 1929 करोड़ की लागत से बनी 7519 परियोजनाओं तथा 1300 करोड़ रुपये से अधिक के कुल व्यवसाय के साथ पंजीकृत 9200 एफपीओ राष्ट्र को समर्पित किए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को भी कई सौगातें दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों के हित में निरन्तर कल्याणकारी फैसले कर रही है। केन्द्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से राज्य के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार द्वारा भी किसान कल्याण की दिशा में कई कदम उठाए गए क्योंकि किसान की समृद्धि से ही विकसित एवं खुशहाल राजस्थान का सपना साकार होगा। शर्मा ने कहा कि राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना के 6 हजार रुपये के अतिरिक्त मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 2 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गेहूं के 2275 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के ऊपर 125 रुपये का बोनस प्रदान कर 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद की गई है। प्रदेश में 10 हजार सौर ऊर्जा संयंत्रों, 41 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर तथा 44 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में नए कृषि कनेक्शन, किसानों को बिजली के बिलों में अनुदान, अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण तथा कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना जैसे निर्णय भी किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण निर्णय हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने तथा प्रदेश को बिजली सरप्लस राज्य बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ के एमओयू किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत शनिवार को जारी की गई 18वीं किस्त के माध्यम से राजस्थान के 70 लाख 36 हजार 501 किसानों को कुल 1546.6 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

वाशिम में आयोजित इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार एवं देवेन्द्र फड़नवीस सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री आवास पर सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम आज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 6 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर प्रथम बार जैन धर्म के सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन होगा। जैन मुनियों के सानिध्य में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा बड़ी संख्या में जैन समाज के प्रबुद्धजन शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि जयपुर में चातुर्मास कर रहे जैन मुनियों की उपस्थिति में सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया जा रहा है।

आगामी विधानसभा उपचुनावों में सभी सीटों पर खिलेगा कमल : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश के आगामी उप चुनावों को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में लगा दिया है। भाजपा "हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता" के ध्येय वाक्य पर निरंतर कार्य कर रही है। ऐसे में संगठन स्तर से आगामी सभी विधानसभा उपचुनावों को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। भाजपा अपनी सीट पर तो जीत दर्ज करवाएगी ही, वहीं कांग्रेस से उनकी सीट छीन लेंगी और सभी 7 सीटों पर कमल खिलेगा।

राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के द्वारा दिए जा रहे बयानों पर कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार लगातार जनहितैषी कार्य कर रही है। भाजपा सरकार मजबूत, सुदृढ़ और अपने एजेंडे पर कार्य करनी वाली सरकार है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। कांग्रेस की हो रही दुर्गति को संभालने की बजाए डोटासरा ताक झांक कर रहे है यह अच्छी आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कोई भी दलित नेता अगर आगे बढ़ता है तो कांग्रेसी उसे टारगेट करते है। कांग्रेस पार्टी हल्की और स्तरहीन राजनीति पर उतर आई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो दलित, वंचित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे है।

कांग्रेस सह प्रभारी कल आयेंगे दौरे पर

जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त सचिव एवं सह प्रभारी राजस्थान रूत्विक मकवाना तथा पूनम पासवान 7 अक्टूबर को प्रदेश दौरे पर आएंगे इस दौरान वे जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा से शिष्टाचार भेंट करेंगे।

प्रधानमंत्री के कल्याणकारी विजन के कारण लोगों में भाजपा से जुड़ने का उत्साह : भागीरथ चौधरी

- **चौधरी ने सदस्यता अभियान को लेकर संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ताओं को दिया टॉस्क**

रेनवाल मांझी/जयपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शनिवार को जयपुर दक्षिण क्षेत्र के रेनवाल मांझी में प्रवास के दौरान भाजपा किसान मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठक में भाग लिया। साथ ही भाजपा के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान दूसरे चरण के तहत संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय किसान संगठनों के प्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।

भाजपा किसान मोर्चा की संभाग स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि आप सभी भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमारे अन्नदाता किसान बंधुओं के हितों को सशक्त करने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान कल्याण संकल्प और हम सभी के साझा प्रयासों से ही भारत का कृषि क्षेत्र आज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार किसानों की समृद्धि और उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य न केवल किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करके उन्हें सशक्त बनाना भी है। चौधरी ने जयपुर दक्षिण के रेनवाल मांझी में आयोजित भाजपा के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान को लेकर संगठनात्मक बैठक में उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का यह सदस्यता अभियान देशभर में बूथ स्तर तक चलाया जा रहा है, और विशेष रूप से इसमें किसानों और युवाओं को इससे जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जनहित और राष्ट्रिहत में कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज हर देशवासी भाजपा से जुड़ने को लेकर उत्साहित है। भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया है। ऐसी स्थिति में हम सब कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि हमारी पार्टी और सरकार के विजन को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में काम करें।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भागीरथ चौधरी ने जयपुर दक्षिण के रेनवाल मांझी में भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में हिस्सा लिया।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य ओम सिंह पुत्र स्व. श्री गिरवर सिंह चारण, निवासी चारणवास,तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा हाल 154, करणी वाटिका, सिरसी जयपुर का पुत्र प्रद्युम्न सिंह कविया उसके कहे में नहीं है। इस कारण प्रद्युम्न सिंह कविया को मेरे अभिभाष्य ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, कोई भी व्यक्ति, संस्था, मेरे अभिभाष्य के पुत्र से लेनदेन, संव्यवहार करता है तो स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
जयपुर (उमराव सिंह कीनियाँ) एडवोकेट
दिनांक- मो. 9351383153

आम सूचना सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य ने एक मकान एफ-19, रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर का 1/5 हिस्सा अभिजीत दूबे पुत्र श्री महेश किशोर से क्रय किया है अगर किसी को उक्त सौदे से उज्र आपत्ति हो तो वह मेरे अभिभाष्य से 10 दिन में सम्पर्क कर आपत्ति जताये अन्यथा आपत्ति मान्य नहीं होगी।
जयपुर (मनमोहन शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-05.10.2024 मोबाइल नं. 9828145348

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 303/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री भगवान भारद्वाज पुत्र श्री मदन लाल भारद्वाज निवासी के नम्बर 128/6 पण्डित जी का फार्म ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास आसिद नगर सांगानेर जयपुर-302029 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल समिति कार्यालय पता रेलवे ऑवर ब्रीज के पास, सांगानेर रोड, जयपुर 302029 ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 06.12.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 299/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री गोपाल राम यादव पुत्र श्री कानाराम यादव निवासी 20, शिवपुरी, आर्य नगर, विद्याधर नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत लिल चैम्स एजुकेशन एण्ड हैल्थ केयर सोसायटी, 81, शिवपुरी आर्य नगर, मुरलीपुरा जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 05.12.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 300/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि डॉ. महेश गोयल पुत्र श्री मन्ना लाल गोयल निवासी 1/31 विद्याधर नगर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्रीमती गेंदी देवी गोयल चेरिटेबल ट्रस्ट 1/31 विद्याधर नगर जयपुर राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 06.12.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय स्थान बस्सी, जिला जयपुर
बद्रीनारायण विरूद्ध रामधन व अन्य
वाद बाबत-स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं. 141 सन् 2022
बनाम श्रीमती आशा देवी पुत्री स्व. राम कल्याण पत्नि रमेश जाति हरि.ब्राह्मण स्थान ग्राम दयालपुरा, हाल निवासी ग्राम दयालपुरा हाल निवासी ग्राम कालूवास तहसील राहूवास, जिला दौसा ने आपके विरूद्ध उक्त के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 07 माह 10 सन् 2024 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 30 माह 09 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
रीडर
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमती मधु गौड़ पत्नी स्वर्गीय श्री दीपक गौड़, निवासी E-18/4, Jindal Nagar, Chhendipada Road, Angul, Odisha-759111 अपने पति श्री दीपक गौड़ पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण गौड़ के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आवासीय फ्लेट (फर्स्ट फ्लोर), प्लाट नम्बर 6-एमए-103, योजना इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर (राज.) जिसका कुल क्षेत्रफल 850.00 वर्गफीट है जिसे श्री दीपक गौड़ पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण गौड़ ने एडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक में विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया हुआ था जिनके ऋण खाता संख्या 651136524 एवं 652663063 है, उक्त श्री दीपक गौड़ पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण गौड़ का स्वर्गवास 21.07.2023 को हो चुका है तथा उनकी माताजी श्रीमती रमा गौड़ पत्नी श्री गोपी कृष्ण गौड़ का स्वर्गवास दिनांक 09.04.2007 को हो चुका है, श्री दीपक गौड़ पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण गौड़ के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिसान में श्रीमती मधु गौड़ पत्नी श्री दीपक गौड़ तथा एक अव्यस्क पुत्री जिसका नाम तनवी पुत्री स्वर्गीय श्री दीपक गौड़ है इनके अलावा कोई कोई विधिक उत्तराधिकारी अथवा वारीसान नही है, चूंकि श्री दीपक गौड़ पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण गौड़ के द्वारा लिए गए समस्त ऋण की अदायगी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक में विलय से पूर्व नाम एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड) को की जा चुकी है इसलिए मेरी मुवक्किल श्रीमती मधु गौड़ अपने पति स्वर्गीय श्री दीपक गौड़ पुत्र स्वर्गीय श्री गोपी कृष्ण गौड़ के स्वामित्व की उक्त अल सम्पत्ति के समस्त मूल दस्तावेज एडीएफसी बैंक लिमिटेड (बैंक में विलय से पूर्व नाम एडीएफसी लिमिटेड) सी-25, भगवान दास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम, जयपुर 302001 (राज.) से प्राप्त करना हती है, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, अवधि समाप्त के पशत आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरी मुवक्किल के विरूद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी।
जयपुर (श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट
दिनांक-5.10.2024 6/48 मालवीय नगर, जयपुर
मोबाईल-9829218044

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-टेण्डर निविदा सूचना
(सर्वे एवं निर्माण) (दोहरी पेकेट)
उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) – तृतीय, उ. प. रेलवे, जयपुर द्वारा भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये खुली ई–निविदा का ऑन लाईन ई–टेण्डर आमंत्रित किया जाता हैं। निविदाकार अपना मूल/परिवर्तित प्रस्ताव ई–निविदा बंद होने की तारीख व समय से पूर्व ऑन लाईन भर दें। **1. ई–टेण्डर नोटिस संख्याः** एनडब्ल्यू आर–एससी–सिविल–13641934 **2. कार्य का नाम व लोकेशनः** एन डब्ल्यू आर–एससी सिविल – 13641934: उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर की स्थापना के संबंध में उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय कार्यालय परिसर में बहुउद्देशीय हॉल, बेसमेंट पार्किंग, भू निर्माण और अन्य सहायक कार्यों का निर्माण और इको पार्क, जगतपुरा में अधिकारी विश्राम गृह और रेल निकुंज, जगतपुरा में ट्रांजिट कैंप का निर्माण । न्यू कोच केयर कॉम्प्लेक्स खातीपुरा, जयपुर (फेज–II) के संबंध में खातीपुरा में स्टोर शेड, ओवर हेड टैंक और 50 केएलडी क्षमता एसटीपी का निर्माण। **3. अनुमानित लागतः** रूपये 31,50,46,673.76 **4. धरोहर राशिः** रूपये 17,25,200/– **5. कार्य पूरा होने की अवधिः** 15 (पन्द्रह) माह **6. ई–टेण्डर भरने की अंतिम तिथि और समयः** 25/10/2024 को 15.00 बजे तक **7. वेबसाईट का विवरणः** www.ireps.gov.in नोट : कोई भी मैन्युवल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
1153-CR/24
हमें /NWRailways @NWRailways पर फॉलो करें

नोटिस मजरिये अदालत
न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, बस्सी, जिला जयपुर
**व मुकदमा नं. 94 सन् 2